न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद स0 – 11/2023 धारा 144 द0प्र0स0

सुनैना कुँवर बनाम उपेन्द्र राम वगैरह

आदेश

आदेश की क्र0 स0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12/5/023	अभिलेख उपस्थापित।	

यह वाद थाना प्रभारी, रमकण्डा के अप्राथमिकी सख्या 01/23 के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता स0	प्लॉट स0	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
रक्सी	53	1142	0.63 एकड	सीतराम का घर	पी0सी0सी0 सडक उसके बाद हसन सिंह का खेत	कच्ची सडक मेला टांड जाने के लिए	जितन्द्र राम वगैरह का कच्चा मकान

प्रथम पक्षकार का कहना है कि सुनैना देवी पति असरफी मोची साकिन रक्सी थाना रमकण्डा जिला गढवा ने दिनांक 01.05.1981 को विदेशी मोची पिता स्व0 देवदत मोची साकिन रक्सी थाना रकमकण्डा जिला गढवा के द्वारा मो0 1000 एक हजार रूपये में क्रय किया गया है। जिसका केवाला सख्या 3859 खाता सख्या 53 प्लॉट सख्या 1142 रकबा 0.14 एकड भूमि है। जिसकी चौहदी उ0 नीज विक्रेता द0 रास्ता पु0 रास्ता प0 डोमन मोची व खाता सख्या 53 प्लॉट सख्या 1109 रकबा 0.05 एकड है जिसकी चौहदी उ0 नीज विक्रेता द0 केश्वर मोची पु0 केश्वर मोची प0 सोमारू मोची खाता सख्या 1 प्लॉट सख्या 2 कुल रकबा 0.19 एकड है। उक्त क्रम की कुल भूमि पर जोत–कोड तथा घर मकान बना हुआ है। उस भूमि पर पक्का का मकान बनाने हेतु नीव खोद रहे है। जब द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया गया है। इस जमीन पर अंचल द्वारा दाखिल खारीज कर सरकार रसीद अदा करते आ रहे है। विवादित भूमि का सारा कागजात प्रथम पक्ष को ही है। द्वितीय पक्ष के पास न तो कब्जा न ही भूमि का संबधित कागजात है। उक्त वाद में प्रथम पक्ष से निषेधाज्ञा उठाया जाय तथा द्वितीय पक्ष को निषेधित करने की कृपा की जाए।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि वर्णित भूमि मौजा रक्सी मे अवस्थित है जिसका खाता सख्या 53 प्लॉट सख्या 1142 रकबा 0.63 एकड है जो द्वितीय पक्ष की दखल–कब्जा वाली भूमि है। जिस द्वितीय पक्ष को लगभग 30–35 वर्षो से कब्जा एवं निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष सं0 1 से तेईस हजार रूपये लिए है। जिससे हडपने के लिए यह मुकदमा किया गया है। द्वितीय पक्षकार की ओर से यह कारणपृच्छा स्वीकार कर यह वाद को खरीद करने की कृपा किया गया है। धारा 144 द0प्र0स0 की समय अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 13:12:02 +05:30
Location: 10.93.21.244

12.5.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
रंका।